

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

रु. 100

HUND

CANCELLED

NOTARIAL

NOTARIAL

INDIA

JUDICIAL

IND



Member, Sultanpur (U.P.)



UTTAR PRADESH

FW 255835

(प्रारूप- "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेली संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप :-

हम सुदेन्द्र बहादुर सिंह (नाम अध्यक्ष) एवं नरेन्द्र बहादुर सिंह (नाम प्रबन्ध न्यासी/सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबन्ध न्यासी/सचिव, सत्यप्रभा चैरिटेबुल ट्रस्ट, ग्राम- आनापुर-नराचनगंज, पो- कोथराखुर्द, तहसील- लम्भुआ, सुलतानपुर (उप्र) (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट सत्यप्रभा चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा (संस्था का नाम एवं पता) सत्यप्रभा कॉलेज ऑफ फार्मेली पता ग्राम- आनापुर-नराचनगंज, पोस्ट- कोथराखुर्द, तहसील- लम्भुआ, जिला- सुलतानपुर (उप्र) नामक डिप्लोमा इन फार्मेली संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

100  
34

लक्ष्मी देवी व श्री राम देवी के बीच बलापूर्वक सम्पत्ति के अर्पण  
दस्तावेज  
की शर्त पर

विक्रय पत्र

NOTARY PUBLIC  
Sambhu Sujanpur, U.P.



श्री श्री श्री  
श्री श्री श्री  
01/09/2023


4498  
I solemnly affirm that the contents of this document are true and correct  
to the best of my knowledge and belief  
and that the affiant has been read and understood the contents of this document  
and has signed the same voluntarily and without any coercion, duress or undue influence  
Read at 35

श्री श्री श्री देवी व श्री श्री श्री देवी के बीच बलापूर्वक सम्पत्ति के अर्पण दस्तावेज की शर्त पर

01/09/23 NOTARY PUBLIC  
Sambhu, Sujanpur, U.P.

RS  
01/09/23

Ram Anney Singh  
Advocate  
NOTARY  
Sambhu, Sujanpur, U.P.

- 
2. यह कि इसमें सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सत्यप्रभा चैरिटेबुल ट्रस्ट (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) ग्राम आनापुर-नराचनगंज, पोस्ट- कोधरातुर्द, तहसील- लम्नुआ, जिला- सुल्तानपुर (उ०प्र०) में गाटा संख्या 729, 731 एवं 732 रकबा क्रमशः 0.181, 0.572 एवं 0.057 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है।
  3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
  4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के 729, 731 एवं 732 रकबा क्रमशः 0.181, 0.572 एवं 0.057 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.12.2019 द्वारा पारित किया गया है।
  5. यह कि उपरोक्त भूमि पर प्ररुगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
  6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
  7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
  8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
  9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि



- संचालन में कभी किया गया है. और न ही भविष्य में कभी किया
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
  11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
  12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का मली भाँति पालन कलैगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी सम्व त्चतीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हो प्रबन्ध न्यासी

सत्यप्रभा चैरिटेबुल ट्रस्ट  
ग्राम- आनापुर-नरायनगंज,  
पो- कोथराखुर्द,  
तहसील- लम्मुआ,  
सुलतानपुर (3090)

हो अध्यक्ष

सत्यप्रभा चैरिटेबुल ट्रस्ट  
ग्राम- आनापुर-नरायनगंज,  
पो- कोथराखुर्द,  
तहसील- लम्मुआ,  
सुलतानपुर (3090)